फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

राजेश कुमार बनाम रतन लाल वगैरा व सरकार

अपील इंतकाल प्रकरण सं. 54 / 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
08.09.14	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील में मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है।पत्रावली वास्ते बहस स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 09.09.14 को पेश हो।	
9.9.14	अपीलांट के Ad उप०। बहस स्थगन प्रा० पत्र सुनी गई। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए एक पक्षीय स्थगन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी के उपरांत स्थगन प्रा० पत्र पर गुणदोष के आधार पर सुना जाकर आदेश पारित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। अतः रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब हो। पत्रावली दिनांक 29.9.14 को स्थगन प्रार्थना पत्र की बहस हेतु पेश हो।	N. 2. 1812-15 09.09.14
29.9.14	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे है। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 7.10.14 को पेश हो।	
7.10.14	पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश~~ भ्रमण पर ~~कार्य में व्यस्त है~~। पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 21.10.14 को पेश हो।	अप्रार्थी सं. 1, व 2 की ओर से श्री रामप्रकाश गुप्ता, Adv ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं. 05 पर रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी सं. 05 की मृत्यु हो चुकी है।

बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नही आ रहे है। पीठासीन अधिकारी नगर भ्रमण पर है। पत्रावली दिनांक 24/1/24 को पेश हो।

24/1/24 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अपीलांट अधिवक्ता की ओर से आगामी पेशी पर तलवाना सम्मन पेश करने हेतु "Noted" किया गया। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 06/3/24 को पेश हो।

Noted
6/3/24

06/3/24 पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश भ्रमण पर~~ .... कार्य में व्यस्त है, इस कारण के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 22/4/24 को पेश हो।

22/4/24 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अपीलांट अधिवक्ता को तलवाना पेश हेतु पाबंद किया गया। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 24.6.24 को पेश हो।

24/6/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी एवं स्वयं अपीलार्थी उपस्थित नही। अधिवक्ता अपीलार्थी एवं अपीलार्थी स्वयं को पृथक–पृथक समय पर रूक–रूक कर बार–बार आवाजे लगाई गई, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए । ऐसी स्थिति में अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकार्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैंसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें व बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा कराई जावे।

आदेश सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)